रजि सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 1984/आश्विन 30, 1906
No. 414] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 1984/ASVINA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1984

सा. का. नि. 734(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (6) के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड में पत्तन के कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री बी. वी. रामाराव को श्री एम. वी. भद्रम के स्थान पर नियुक्त करती है, और नौवहन और परिवहन

मंत्रालय, (पत्तन पक्ष) भारत सरकार की अधिसूचना—सा. का. नि. 234(अ) दिनांक 29 मार्च, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 9 में "श्री एम. वी. भद्रम" के स्थान पर "श्री वी. वी. रामा राव" रखा जाएगा ।

[फा. सं. पी. डब्ल्यू./पी. टी. बी.-28/84]

पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 22nd October, 1984

G.S.R. 734(E).—In exercise of the powers conferred by section 10, read with sub-sections (1) and (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri V. V. Rama Rao, as a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam, representing the labour employed in the Port vice Shri M. V. Bhadram, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 234(E), dated the 29th March, 1984, namely :—

In the said notification, in the entry against Serial Number 9, for the words and letters "Shri M. V. Bhadram" the words and letters "Shri V. V. Rama Rao" shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-28/84]

P. M. ARBAHAM, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984